संख्या-31/2019/709/सैंतीस-2-2019-1(35)/2014टीसी।

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(अंकित विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनॉक-28 मार्च, 2019

विषयः- **नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ.-22 के अन्तर्गत स्वीकृत 115 भवनविहीन/जर्जर पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-576/सा0-1/एक्स-120(188)/आर.आई.डी.एफ.-21/2015-16, दिनांक-14.03.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-08-पशु चिकित्सालयों का निर्माण-आर.आई.डी.एफ. (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष आर.आई.डी.एफ.-22 में अनुमोदित निम्नलिखित 115 पशुचिकित्सालयों हेतु (रू0 40.28 लाख-रू0 16.60 लाख) रू0-23.68 लाख प्रति पशुचिकित्सालय की दर से (पुनरीक्षित लागत के अन्तर की धनराशि+अवशेष धनराशि) द्वितीय किश्त के रूप में कुल रू0-2723.20 लाख (रूपये सत्ताईस करोड़ तेईस लाख बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः-

क्र0	पशुचिकित्सालय का नाम	जनपद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	एत्मादपुर	आगरा	23.68
2	बरहन	आगरा	23.68
3	खन्दोली	आगरा	23.68
4	किरावली	आगरा	23.68
5	पिनाहट	आगरा	23.68
6	सदर भट्टी	आगरा	23.68
7	पनेठी	अलीगढ़	23.68
8	चिलबिला	इलाहाबाद	23.68
9	कौंधियारा	इलाहाबाद	23.68
10	कोराँव	इलाहाबाद	23.68
11	माण्डा	इलाहाबाद	23.68
12	रामनगर	इलाहाबाद	23.68
13	बन्दीदासपुर	अम्बेडकर नगर	23.68
14	बसखारी	अम्बेडकर नगर	23.68
15	जोया	अमरोहा	23.68
16	कैसरगंज	बहराईच	23.68
17	महसी	बहराईच	23.68
18	शिवदहा	बहराईच	23.68
19	चितबड़ागांव	बलिया	23.68
20	मुरली छपरा	बलिया	23.68

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21	नरही	बलिया	23.68
22	रेवती	बलिया	23.68
23	नवानगर	बलिया	23.68
24	हैदरगढ़	बाराबंकी	23.68
25	हसवाँपुर	बाराबंकी	23.68
26	निन्दूरा	बाराबंकी	23.68
27	त्रिवेदीगंज	बाराबंकी	23.68
28	मंझगवाँ	बरेली	23.68
29	सहोरा	बरेली	23.68
30	शाही	बरेली	23.68
31	शेरगढ़	बरेली	23.68
32	ज्ञानपुर	भदोही	23.68
33	कादराबाद	बिजनौर	23.68
34	कोतवाली	बिजनौर	23.68
35	नांगल	बिजनौर	23.68
36	अगौता	बुलन्दशहर	23.68
37	झांझर	बुलन्दशहर	23.68
38	के शहरबुलन्द .वी.	बुलन्दशहर	23.68
39	नरौरा	बुलन्दशहर	23.68
40	इलिया	चन्दौली	23.68
41	लार	देवरिया	23.68
42	जलेसर	एटा	23.68
43	जहानगंज	फर्रूखाबाद	23.68
44	कायमगंज	फर्रूखाबाद	23.68
45	नवाबगंज	फर्रूखाबाद	23.68
46	भिटौरा	फतेहपुर	23.68
47	टुण्डला	फिरोजाबाद	23.68
48	दनकौर	गौतमबुद्ध नगर	23.68
49	बाराचवर	गाजीपुर	23.68
50	गहमर	गाजीपुर	23.68
51	रेवतीपुर	गाजीपुर	23.68
52	सदर	गाजीपुर	23.68
53	भौपुरा	गाजियाबाद	23.68
54	पतला	गाजियाबाद	23.68
55	कौड़ीराम	गोरखपुर	23.68
56	जराखर	हमीरपुर	23.68
57	राँठ	हमीरपुर	23.68
58	बाबूगढ़	हापुड	23.68
59	फगौता	हापुड	23.68
60	सपनावत	हापुड	23.68
61	कोंच	जालौन	23.68
62	उल्दन	झाँसी	23.68
63	भीतरगाँव	कानपुर नगर	23.68
64	बिधनू	कानपुर नगर	23.68
65	बिल्लौर	कानपुर नगर	23.68

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

66	चुन्नीगंज सदर	कानपुर नगर	23.68
67	ककवन	कानपुर नगर	23.68
68	मंझनपुर सदर	कौशाम्बी	23.68
69	हाटा	कुशीनगर	23.68
70	मितौली	लखीमपुर खीरी	23.68
71	सिंघाई	लखीमपुर खीरी	23.68
72	नरायनपुर	लखनऊ	23.68
73	रहीमाबाद	लखनऊ	23.68
74	सरोजनी नगर	लखनऊ	23.68
75	छाता	मथुरा	23.68
76	सुरीर	मथुरा	23.68
77	शाहजहाँपुर	मेरठ	23.68
78	श्याम देउरवा	महराजगंज	23.68
79	चुनार	मिर्जापुर	23.68
80	भोपा	मुजफ्फरनगर	23.68
81	खतौली	मुजफ्फरनगर	23.68
82	पुरा	मुजफ्फरनगर	23.68
83	ललौरीखेड़ा	पीलीभीत	23.68
84	सेमरी	रायबरेली	23.68
85	रथौण्डा	रामपुर	23.68
86	स्वार	रामपुर	23.68
87	चिलकना	सहारनपुर	23.68
88	सरसवा	सहारनपुर	23.68
89	बहजोई	सम्भल	23.68
90	चन्दौसी	सम्भल	23.68
91	पिपरा	संत कबीर नगर	23.68
92	सांथा	संत कबीर नगर	23.68
93	कलान	शाहजहाँपुर	23.68
94	काँठ	शाहजहाँपुर	23.68
95	खुटार	शाहजहाँपुर	23.68
96	निगोही	शाहजहाँपुर	23.68
97	झिझाना	शामली	23.68
98	ऊन	शामली	23.68
99	हरगाँव	सीतापुर	23.68
100	महमूदाबाद	सीतापुर	23.68
101	मिश्रिख	सीतापुर	23.68
102	चतरा	सोनभद्र	23.68
103	चोपन	सोनभद्र	23.68
104	म्योरपुर	सोनभद्र	23.68
105	राबर्ट्सगंज	सोनभद्र	23.68
106	बेलवाई	सुल्तानपुर	23.68
107	कादीपुर	सुल्तानपुर	23.68
108	कूड़ेभार	सुल्तानपुर	23.68
109	बाँगरमऊ	उन्नाव	23.68
110	सिकन्दरपुर करन	उन्नाव	23.68

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

111	गंगाघाट	उन्नाव	23.68
112	मौरावाँ	उन्नाव	23.68
113	सोहरामऊ	उन्नाव	23.68
114	सेवापुरी	वाराणसी	23.68
115	लगलेसरा	उन्नाव	23.68
योग-			**2723.20**

(रूपये सत्ताईस करोड़ तेईस लाख बीस हजार मात्र)

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
2. पुनरीक्षित लागत हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित पशुचिकित्सालय हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय योजना के दिशा-निर्देशों व निर्माण संबंधी कार्यों हेतु समय-समय पर संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।
5. कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक तथा निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारियों का होगा।
6. कार्यदायी संस्था द्वारा पुनरीक्षित आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।
7. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स/यथावश्यकता जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
8. पुनरीक्षित आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।
9. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0/सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग की शर्तों एवं वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-22 मार्च, 2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
12. प्रदेश में चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। अतः निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रभावी चुनाव आचार संहिता के दिशा-निर्देशों का किसी भी दशा में कोई उल्लंघन न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-08-पशु चिकित्सालयों का निर्माण-आर.आई.डी.एफ. (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-1-यू.ओ.-329/दस-2019, दिनांक-27.03.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-31/2019/709(1)/सैंतीस-2-2019- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- निदेशक (प्रशासन एवं विकास)/वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
4- सम्बन्धित कार्यदायी संस्थायें।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।